रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062025-263615
CG-DL-E-05062025-263615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, बुधवार, जून 4, 2025/ज्येष्ठ 14, 1947
No. 322] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 2025/JYAISTHA 14, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2025

सा.का.नि. 365(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 18 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 320 (अ), द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में कुछ संशोधन करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा **पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथाअपेक्षित रूप से,** उससे प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है और इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात उक्त अधिसूचना पर विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में डाक द्वारा सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को ई-मेल पते: sohsmd-mef@gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसा कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा जाएगा) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तारीख 18 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 320 (अ) द्वारा देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए अधिसूचित किए गए थे;

जबकि, प्लास्टिक पैकिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को और मजबूत करने के लिए, कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं;

अतः अब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के **नियम 5 के उप-नियम 3** के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, इस प्रारूप अधिसूचना को प्रकाशित करती है, जो अपने अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख को और उस तारीख से उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करेगी, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-II के पैरा 7 में, -

(क) उप-पैरा 7.2 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग का दायित्व (अनुलग्नक में उदाहरण 6 का संदर्भ लें)

(i) नीचे दिए गए अनुसार उत्पादक को प्लास्टिक पैकेजिंग में श्रेणिवार पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करना होगा, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग

(वर्ष के लिए विनिर्मित प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकिंग श्रेणी	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और इससे आगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्रेणी I	30	40	50	60
श्रेणी II	10	10	20	20
श्रेणी III	5	5	10	10

ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक या तकनीकी अपेक्षाओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री संबंधी दायित्व पूरा करना संभव नहीं है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी : 1. वैधानिक अपेक्षा से तात्पर्य ऐसे मामले से है जिसमें किसी अन्य मौजूदा कानून द्वारा पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है।

2. तकनीकी अपेक्षा से तात्पर्य ऐसे मामले से है जिसमें पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग के कारण पैक की गई सामग्री इच्छित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है।

(ii). खाद्य सामग्री के संपर्क में आने वाले मामले में प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग-

उत्पादक को वर्ष 2025-26 के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक के अनिवार्य उपयोग की पूर्ति में हुई किसी भी कमी को, वर्ष 2026-27 से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए, उन वर्षों के लिए अनिवार्य लक्ष्य के अतिरिक्त, आगे ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।"

(ख) उप-पैरा 7.3 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग का दायित्व (अनुलग्नक में उदाहरण 6 का संदर्भ लें)

(i) आयातक, को नीचे दिए गए अनुसार, प्लास्टिक पैकेजिंग में श्रेणिवार पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करना होगा :-

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग

(वर्ष के लिए आयातित प्लास्टिक का प्रतिशत)

प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और इससे आगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्रेणी I	30	40	50	60
श्रेणी II	10	10	20	20
श्रेणी III	5	5	10	10

आयातित सामग्री में उपयोग किए गए किसी भी पुनर्चक्रित प्लास्टिक को दायित्व की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा। आयातक को ऐसे उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों, जिन्होंने अपने दायित्व से अधिक पुनर्नवीनीकृत सामग्री का उपयोग किया है, से समतुल्य मात्रा का प्रमाण पत्र खरीदकर पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक रूप में) के उपयोग के अपने दायित्व को पूरा करना होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए प्रणाली विकसित करेगा। ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक या तकनीकी अपेक्षाओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में दायित्व को पूरा करना संभव नहीं है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट दी जा सकती है।

टिप्पण 1. वैधानिक अपेक्षा का तात्पर्य ऐसे मामले से होगा जहां पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग की अनुमति किसी अन्य लागू कानून द्वारा नहीं दी जाती है

2. तकनीकी अपेक्षा से तात्पर्य ऐसे मामले से है जहां पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग से पैक की गई सामग्री इच्छित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है

(ii) खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों में प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग-

वर्ष 2026-27 से प्रारम्भ करके तीन वर्षों की अवधि सर्वोत्तम प्रयास करने के पश्चात्, उन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक के अनिवार्य उपयोग की पूर्ति में शेष बची किसी भी कमी को आगे ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) उप-पैरा 7.4 में,- (1) खंड (ख) में उप-खंड (1) को निम्नलिखित उप-खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(I) अपने उत्पादों के लिए श्रेणी- I (सख्त) प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करने वाले ब्रांड मालिकों पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऐसी पैकेजिंग का पुनः उपयोग करने का न्यूनतम उत्तरदायित्व होगा।:

बशर्ते कि फूड कांटैक्ट एपलीकेशन में श्रेणी- I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनः उपयोग भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के विनियमन के अधीन होगा। ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग संबंधी उत्तरदायित्व को पूरा करना संभव नहीं है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामले-दर-मामला आधार पर छूट दी जाएगी।

टिप्पणी: 1. वैधानिक आवश्यकता से तात्पर्य उस मामले से होगा जहां पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग की अनुमति किसी अन्य लागू कानून द्वारा नहीं दी गई है।

2. तकनीकी आवश्यकता से तात्पर्य उस स्थिति से है जहां पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग के कारण पैक की गई सामग्री इच्छित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है।

श्रेणी- I (कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग) के लिए पुन: उपयोग की न्यूनतम बाध्यता।

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (प्रतिवर्ष बेचे जाने वाले उत्पाद में श्रेणी- I कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रतिशत के रूप में)
(1)	(2)	(3)
क	श्रेणी- I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग जिसका आयतन या भार 0.9 लीटर या किलोग्राम के बराबर या उससे अधिक परंतु 4.9 लीटर या किलोग्राम से कम हो, जैसा भी मामला हो।	
1.	2025 – 26	10
2.	2026 – 27	15
3.	2027-28	20
4.	2028-29 और उसके बाद	25
ख	श्रेणी I की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग जिसका भार 4.9 लीटर या किलोग्राम के बराबर या उससे अधिक हो, का उपयोग पेयजल की पैकेजिंग के लिए किया जाता है।	
1.	2025-26	70
2.	2026-27	75
3.	2027-28	80
4.	2028-29 और उसके बाद	85
ग	श्रेणी I की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग जिसका भार 4.9 लीटर या किलोग्राम के बराबर या उससे अधिक है, का उपयोग पेयजल के अलावा अन्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है।	
1.	2025-26	10
2.	2026-27	10
3.	2027-28	15
4.	2028-29 और उसके बाद	15

ब्रांड मालिकों द्वारा पुनः उपयोग की जाने वाली सख्त पैकेजिंग की मात्रा की गणना उस वर्ष में निर्मित/आयातित/खरीदी गई अप्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग को ब्रांड मालिकों की बिक्री से घटाकर की जाएगी:

बशर्ते कि ब्रांड मालिक को वर्ष 2025-26 के लिए श्रेणी I (सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग) के लिए पुन: उपयोग के न्यूनतम दायित्व की किसी भी कमी को वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए, उन वर्षों के लिए अनिवार्य लक्ष्य के अतिरिक्त अग्रेषित अनुमति दी जा सकती है।

ब्रांड मालिकों को यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।

(ii) उप-खण्ड (अ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(अ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग का दायित्व (अनुलग्नक में उदाहरण 6 देखें)

(i) ब्रांड मालिक को प्लास्टिक पैकेजिंग में नीचे दी गई श्रेणी के अनुसार पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग

(वर्ष के लिए निर्मित प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणी	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके बाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्रेणी I	30	40	50	60
श्रेणी II	10	10	20	20
श्रेणी III	5	5	10	10

(ii) ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में दायित्व को पूरा करना संभव नहीं है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान की जाएगी।

नोट: 1. संवैधानिक आवश्यकता से तात्पर्य ऐसे मामले से है जहां पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग की अनुमति किसी अन्य लागू कानून द्वारा नहीं दी गई है।

2. तकनीकी आवश्यकता से तात्पर्य उस स्थिति से है जहां पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग के कारण पैक की गई सामग्री इच्छित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है।

(iii) फूड कांटेक्ट एप्लीकेशन में प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक संघटक का प्रयोग

ब्रांड मालिक को वर्ष 2025-26 के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक के अनिवार्य उपयोग की पूर्ति में किसी भी कमी को, वर्ष 2026-27 से शुरू होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए, उन वर्षों के लिए अनिवार्य लक्ष्य के अतिरिक्त, अग्रेषित अनुमति दी जा सकती है"।

[फ.सं. 17/4/2025-एचएसएम]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण.- मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 320(अ) दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ) दिनांक 27 मार्च, 2018; सा.का.नि. 571(अ) दिनांक 12 अगस्त, 2021; सा.का.नि. 647(अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2021; सा.का.नि. 133(अ) दिनांक 16 फरवरी 2022; सा.का.नि. 522(अ) दिनांक 7 जुलाई 2022; सा.का.नि. 318(अ) दिनांक 27 अप्रैल 2023; सा.का.नि. 807(अ) दिनांक 30 अक्टूबर 2023; सा.का.नि. 201(अ) दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 73(अ) दिनांक 23 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2025

G.S.R. 365(E).— The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for making certain amendments in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016, is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: sohsmd-mef@gov.in .

Draft Notification

Whereas, the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the "said rules") were notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016 to provide statutory framework for plastic waste management in the country in an environmentally sound manner;

Whereas, in order to further strengthen the effective implementation of guidelines on Extended Producer Responsibility on Plastic packaging, amendments are being proposed to remove certain difficulties;

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby publishes this draft notification as required under sub-rule 3 of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986, which shall on and from the date of its final publication make the following amendments in the said notification, namely:-

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016, in Schedule-II, in paragraph 7, -

(a) in sub-paragraph 7.2, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

(d**)** Obligation for use of recycled plastic content (refer example 6 in Annexure)

(i) The producer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below, namely:-

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of plastic manufactured for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory or technical requirements, the exemption may be granted by Central Pollution Control Board on case-to-case basis.

Note: 1. statutory requirement would mean the case where use of recycled content is not allowed by any other law in force.

2. Technical requirement would mean the case where use of recycled content renders the packaged material unfit for intended use.

(ii) Use of recycled plastic content in plastic packaging used in food contact applications -

The producer may be allowed to carry forward any shortfall in fulfilment of mandatory use of recycled plastic in plastic packaging for the year 2025-26, for a period of three years starting from 2026-27, over and above the target mandated for those years.";

(b) in sub-paragraph 7.3, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)

(i) The Importer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below:

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of imported plastic for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

Any recycled plastic used in imported material shall not be counted towards fulfilment of obligation. The importer will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers, and Brand Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal. In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory or technical requirements, the exemption may be granted by Central Pollution Control Board on case-to-case basis.

Note: 1. statutory requirement would mean the case where use of recycled content is not allowed by any other law in force.

2. Technical requirement would mean the case where use of recycled content renders the packaged material unfit for intended use.

(ii) Use of recycled plastic content in plastic packaging used in food contact applications -

The importer may be allowed to carry forward any shortfall remaining in the fulfilment of mandatory use of recycled plastic in plastic packaging, for the year 2025-26, after undertaking best efforts, for a period of three years starting from 2026-27, over and above the target mandated for those years.";

(c) in sub-paragraph 7.4,- (i) in clause (b) for sub-clause (I), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(I) The Brand Owners using Category I (rigid) plastic packaging for their products shall have minimum obligation to reuse such packaging as given in the table below:

Provided the reuse of Category I rigid plastic packaging in food contact applications shall be subject to regulation of Food Safety and Standards Authority of India. In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of reuse of rigid plastic packaging on account of statutory or technical requirements, the exemption will be granted by Central Pollution Control Board on case-to-case basis.

Note: 1. statutory requirement would mean the case where use of recycled content is not allowed by any other law in force.

2. Technical requirement would mean the case where use of recycled content renders the packaged material unfit for intended use.

Minimum obligation to reuse for Category I (rigid plastic packaging).

Sr. No.	Year	Target (as percentage of Category I rigid plastic packaging in product sold annually)
(1)	(2)	(3)
A	Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 litre or kg but less than 4.9 litres or kg, as the case may be	

1.	2025 – 26	10
2.	2026 – 27	15
3.	2027-28	20
4.	2028-29 and onwards	25
B	Category I rigid plastic packaging with volume of weight equal or more than 4.9 litres or kg used for packaging of drinking water.	
1.	2025 – 26	70
2.	2026 – 27	75
3.	2027-28	80
4.	2028-29 and onwards	85
C	Category I rigid plastic packaging with volume of weight equal or more than 4.9 litres or kg used for packaging of products other than drinking water.	
1.	2025 – 26	10
2.	2026 – 27	10
3.	2027-28	15
4.	2028-29 and onwards	15

The quantity of rigid packaging reused by Brand Owners shall be calculated by reducing virgin plastic packaging manufactured/imported/purchased in that year from the sales of the Brand Owners:

Provided that the brand owner may be allowed to carry forward any shortfall of minimum obligation to reuse for Category I (rigid plastic packaging), for the year 2025-26, for a period of three years starting from 2026-27, over and above the target mandated for those years.

The Brand Owners shall provide this information on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board."

(ii) for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(e) Obligation for use of recycled plastic content (refer example 6 in Annexure)

(i) The brand owner shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below:

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of plastic manufactured for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

(ii) In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory or technical requirements, the exemption will be granted by Central Pollution Control Board on case-to-case basis.

Note: 1. statutory requirement would mean the case where use of recycled content is not allowed by any other law in force.

2. Technical requirement would mean the case where use of recycled content renders the packaged material unfit for intended use.

(iii) Use of recycled plastic content in plastic packaging used in food contact applications

The brand owner may be allowed to carry forward any shortfall in fulfilment of mandatory use of recycled plastic in plastic packaging, for the year 2025-26, for a period of three years starting from 2026-27, over and above the target mandated for those years.".

[F. No. 17/4/2025-HSM]

NEELESH KUMAR SAH, Joint Secretary

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 285(E), dated the 27th March, 2018; G.S.R. 571(E), dated the 12th August, 2021; G.S.R. 647(E), dated the 17th September, 2021; G.S.R. 133(E), dated the 16th February 2022; G.S.R. 522(E) dated the 7th July 2022; G.S.R. 318(E), dated the 27th April 2023; G.S.R. 807(E) dated the 30th October 2023; G.S.R. 201(E) dated the14th March 2024 and last amended vide notification number G.S.R. 73 (E) dated the 23rd January 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.06.05 14:22:17 +05'30'